जीत मोहिंदर सिंह

बनाम

हरमिंदर सिंह व अन्य

26 जुलाई, 2004

[अरिजीत पसायत और सी.के. ठक्कर, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

आदेश 18, नियम 17-एक गवाह को वापस बुलाने के लिए आवेदन। आदेश 16, नियम 3 के रूप में वर्णित-पोषणीयता-अभिनिर्धारित किया गया, यद्यपि किसी प्रार्थनापत्र की नामावली महत्वपूर्ण नहीं है एवं सार देखा जाना चाहिए, तथापि पक्षकारों का यह कर्तव्य है कि वह प्रार्थनापत्र को सही प्रकार से तैयार करें तथा लागू होने वाले प्रावधानों को उद्धृत करते हुए स्पष्ट और सटीक तरीके से लिखें। प्रार्थनापत्र पेश किए जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई- कार्यप्रणाली एवं क्रियाविधि।

एक चुनाव याचिका में एक प्रार्थनापत्र आदेश 16, नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक गवाह को पूर्व में पारित किए गए किसी अन्य निर्णय के संबंध में सामना करने की प्रार्थना के साथ में पेश किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज

किया गया कि गवाह का किसी ऐसे फैसले से सामना नहीं कराया जा सकता, जिसमें पिछले बयान का संदर्भ है।

इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई अपील में यह तर्क दिये गये कि यद्यपि प्रार्थनापत्र आदेश 16, नियम 3 की नामावली का अंकन करते हुए पेश किया गया था, लेकिन वास्तव में यह संहिता के आदेश 18, नियम 17 के तहत याचिका थी।

इसलिए प्रार्थना स्वीकार की जानी चाहिए थी।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

यद्यपि किसी प्रार्थनापत्र की नामावली वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है और केवल सार को देखा जाना चाहिए, तथापि यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई पक्षकार कोई भी प्रावधान वर्णित कर सकता है एवं बाद में यह कह सकता है कि नामावली को उपेक्षित होना चाहिए। पक्षकारों का यह दायित्व है कि वह प्रार्थनापत्र को सही प्रकार से तैयार करें तथा प्रार्थनापत्र को तैयार करते समय कानून के लागू होने वाले प्रावधान अंकित करें। प्रार्थनापत्र में नामावली को सही एवं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाने का उद्देश्य है। जो राज्य के सबसे बड़े न्यायालय में प्रार्थनापत्र पेश किए जाने के समय सावधानी बरती जानी चाहिए थी वह दुखद रूप से मामले में गायब है, कानून की स्वीकृति स्थिति के अनुसार यह प्रार्थनापत्र ध्यानपूर्वक

प्रार्थनापत्र ध्यानपूर्वक और सावधानी के साथ सुसंगत प्रावधानों को प्रदर्शित करते हुए सही प्रकार से पेश नहीं की गई है, प्रार्थी को आदेश 18, नियम 17 के तहत नया प्रार्थनापत्र पेश किए जाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। [139-G-H; 140-A-B, E-F]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4437/2004

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका संख्या 14 में 2004 के सीएम नंबर 5-ई/2002 के निर्णय द्वारा आदेश दिनांक 23.01.2004 से

अपीलार्थी की ओर से रंजीत कुमार, राज के. पांडे और कुलदीप सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से के. जी. भगत और देबासीस मिश्रा

न्यायालय का निर्णय दिया गया

अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति:

अनुमति प्रदान की गई।

एक चुनाव याचिका में एक आवेदन कथित रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 16, नियम 3 (संक्षेप में संहिता) दाखिल किया गया था। पी.डब्लयू. 31 सुरेन्द्र पाल सिंह को किसी अन्य प्रकरण में पारित किये गये निर्णय के संबंध में सामना करवाने के उद्देश्य से पुनः बुलाये जाने की प्रार्थना की गई थी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एकल

न्यायाधीश द्वारा प्रार्थना इस आधार पर खारिज की गई थी कि गवाह को इस आधार पर पुनः नहीं बुलाया जा सकता है कि गवाह को ऐसे निर्णय के संबंध में सामना नहीं करवाया जा सकता है, जिसमें कि किसी पूर्व के कथन का संदर्भ हो यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी गवाह को बार-बार बुलाया जाना न्याय हित में नहीं होगा।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होते हुए कथन किया कि यद्यपि प्रार्थनापत्र आदेश 16, नियम 3 के रूप में अंकित किया गया है, किंतु सार रूप में आदेश 18, नियम 17 के तहत याचिका थी और इसलिए प्रार्थना स्वीकार की जानी चाहिए थी। यह भी निवेदन किया गया कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो दृष्टिकोण अपनाया गया है वह कानूनी रूप से सही नहीं है।

> "प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के.जी.भगत ने कथन किया कि जहां संहिता के आदेश 16, नियम 3 के अंतर्गत याचिका पेश की गई, वहां पर अपीलार्थी द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि सार रूप में प्रार्थनापत्र अलग था और इसलिए, उच्च न्यायालय ने सही प्रकार से इसे खारिज किया है, किंतु यह साफ तौर पर स्वीकार किया गया कि गवाह को बताए गए उद्देश्य के लिए पुनः बुलाया जा सकता है।"

इस प्रार्थनापत्र में जो प्रार्थना, संहिता के आदेश 16, नियम 3 के अंतर्गत अंकित की गई है वह किसी भी प्रकार से उक्त प्रावधान की परिधि के अंतर्गत नहीं माना जा सकता है। आदेश 16, नियम 3 गवाह को खर्चा दिए जाने के संबंध में है। जहां तक पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का विषय है, संशोधन को ध्यान में रखते हुए नियम इस प्रकार है

नियम 3 के लिए प्रतिस्थापित

"3. गवाह को खर्चा दिए जाने के बाबत्- (1) जहां पर गवाह कोई सरकारी कर्मचारी न हो, न्यायालय में जो राशि भुगतान की गई है वह गवाह को सम्मन की तामील के समय दी जानी चाहिए, यदि गवाह को व्यक्तिगत रूप से सम्मन तामील करवाई जा सकती हो।

(2) जहां पर व्यक्ति जिसको सम्मन जारी किया गया है, एक सरकारी कर्मचारी है। राशि जो कि न्यायालय में इस प्रकार से भुगतान की गई है सरकार के खाते में जमा की जाएगी।

अपवाद--(1) जहां पर किसी राजकीय कर्मचारी को को ऐसे न्यायालय में गवाही देनी है जो कि उनके मुख्यालय से 5 मील की दूरी से अधिक न हो, उनके द्वारा जो वास्तविक रूप से खर्च किए गए यात्रा व्यय को, जहां पर न्यायालय उचित समझे उनको भुगतान किया जा सकता है।

अपवाद--(2) एक सरकारी कर्मचारी, जिसका वेतन 10 रूपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है अपना खर्चा न्यायालय से प्राप्त कर सकता है।''

यद्यपि प्रार्थनापत्र का नामावली वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है एवं केवल सार को देखा जाना चाहिए लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि पक्षकार कोई भी प्रावधान अंकित करे और उसके पश्चात् वह नामावली को उपेक्षित करने का कथन करें। पक्षकार का यह दायित्व है कि प्रार्थनापत्र को सही प्रकार से तैयार करे तथा प्रार्थनापत्र में लागू होने वाले प्रावधान को अंकित करें। नामावली सामान्य रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता है, किंतु नामावली को साफ और संक्षिप्त रूप से वर्णित करने का एक उद्देश्य है। यद्यपि सार महत्वपूर्ण है, प्रकार महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु जैसा कि उपर वर्णित है, सही प्रावधान वर्णित नहीं किए जाने का यह कोई कारण नहीं हो सकता है एवं उसके पश्चात् यह नहीं कहा जा सकता है कि ''नामावली को नहीं देखा जाए''। जो ध्यान और सावधानी रखना चाहिए वह सीमाओं को लांघ नहीं सकती है। जो राज्य के सबसे बड़े न्यायालय में प्रार्थनापत्र पेश किए जाने के समय सावधानी बरती जानी चाहिए थी व दुखद रूप से कानून की स्वीकृत स्थिति के अनुसार गायब है। आदेश 18, नियम 17 किसी गवाह को पुनः बुलाए जाने और उसको परीक्षित किए जाने के संबंध में इस प्रकार से हैं कि-

"न्यायालय वाद के किसी भी प्रक्रम में ऐसे किसी भी साक्षी को पुनः बुला सकेगा जिसकी परीक्षा की जा चुकी है और तत्समय प्रवृत्त साक्ष्य की विधि के अधीन रहते हुए उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो न्यायालय ठीक समझे।"

ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम बनाम लाला पंचम व अन्य, एआईआर (1965) एससी 1008 में यह मत व्यक्त किया गया कि यह न्यायालय किसी पक्षकार को विशिष्ट प्रकार से अभिवचन करने अथवा उनमें संशोधन करने हेतु मजबूर नहीं कर सकता एवं यह भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है कि वह किसी पक्षकार को किसी विशिष्ट गवाह को परीक्षित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हो।

इस स्वीकृत स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थनापत्र ध्यानपूर्वक और सावधानी के साथ में सही प्रकार से तैयार नहीं किया गया है तथा कानून की सही प्रावधानों को अंकित नहीं करता है। हम सोचते हैं कि अपीलार्थी को अनुमति देना उचित होगा यदि वह ऐसा चाहे तो वह संहिता के आदेश 18, नियम 17 के अंतर्गत नया प्रार्थनापत्र पेश कर सकता है एवं यदि ऐसा प्रार्थनापत्र पेश किया जाता है तो ऐसा प्रार्थनापत्र उसके अपने गुणावगुण के साथ कानून के अनुसार और प्रार्थनापत्र जो कि संहिता के आदेश 16, नियम 3 के अंतर्गत वर्णन करते हुए पेश किया गया था, उसके खारिज किए जाने के तथ्य से अप्रभावित रहते हुए, नियमानुसार निस्तारित

किया जाए। हर्जे/खर्चे के संबंध में भी कोई आदेश किए बिना उपर दी गई सीमा तक अपील स्वीकार की गई।

आर.पी. अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी इन्द्रजीत पंवार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।